

**फर्द अहकाम**

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

वालवान्त

बनाम.....

वरदी चन्द

स मुकदमा.....

वाट

नं०

12

सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
25 <sup>09</sup> 2024	पत्रावली पेशा हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 16/10/2024 को पेशा है। S.D.O	
16 <sup>10</sup> 2024	पत्रावली पेशा हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादी द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर चाहा जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्यवादी दिनांक 22/10/2024 को पेशा है। S.D.O	
22 <sup>10</sup> 2024	पत्रावली पेशा हुई। वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी व वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय पर तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई बावजूद वादी व वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः प्रकरण में वादी की ओर से परती हेतु उपस्थित नहीं होने से तद-पत्र को इसी स्तर पर अदम हाजिरी - अदम परती में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर है। उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)	

